

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या-05/2020

सुखदेव माँझी वगै० बनाम ओ०एन०जी०सी०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

25/10/2021

— :: आदेश :: —

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (बिक्रेता)- (1) सुखदेव माँझी पिता स्व० रून्गा माँझी एवं (2) पुसन हेंब्रोम पिता स्व० मंगरा माँझी दोनों का निवास ग्राम - केरिबन्दा, हेसागढ़ा, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत क्रेता ओ०एन०जी०सी०, सी०बी०एम० परिसम्पति बोकरो (प्रथम तला, एच० एस० सी० एल० भवन नया मोड़ बोकरो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु लीज (पट्टा) में देने हेतु नीचे वर्णित भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित प्राप्त अनुमति आवेदन के आलोक में अपर समाहर्ता, रामगढ़ का पत्रांक-1403/रा०, दिनांक-20.10.2021 से जाँच प्रतिवेदन (संलग्न भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू का जाँच प्रतिवेदन) न्यायालय को प्राप्त, अवलोकन किया गया।

अपर समाहर्ता, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अनुमति हेतु प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान में साहेब राम माँझी के नाम से रैयती दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी राजस्व पंजी-II के पृष्ठ संख्या-5/1 में साहेब माँझी के नाम से खाता संख्या-06, कुल रकबा-3.90 एकड़ भूमि इन्द्राज है। आवेदकगण आपसी मौखिक बटवारा के आधार पर अनुमति हेतु प्रश्नगत भूमि पर दखलकार है तथा अपने हिस्से की भूमि मध्ये रकबा-18.5 डिसमिल भूमि ओ०एन०जी०सी० को कोल बैण्ड मिथेन के दोहन हेतु लीज (पट्टा) पर देना चाहते हैं। अपर समाहर्ता, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा क्रेता ओ०एन०जी०सी० को लीज (पट्टा) पर हस्तांतरण की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49 के तहत आवेदकगण से प्राप्त अनुमति आवेदन एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अपर समाहर्ता, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत भूमि लीज (पट्टा) पर क्रेता ओ०एन०जी०सी० को हस्तांतरण के लिए अनुमति हेतु सहमति दी गई है।

अपर समाहर्ता, रामगढ़, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़, अंचल अधिकारी, माण्डू एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवेदकगण को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसम्पति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़ बोकारो) को कोल बेड मिथेन के दोहन हेतु लीज (पट्टा) में 12 (बारह) वर्षों की अवधि के लिए नीचे वर्णित भूमि को लीज (पट्टा) पर हस्तांतरण करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:-

लीज (पट्टा) पर अनुमति हेतु दी जाने वाली भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (अनुमति हेतु भूमि रकबा) (डिसमील में)
केरीबन्दा	माण्डू/ 124	06	216	18.5 डिसमील
कुल रकबा				18.5 डिसमील

शर्त :-

- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष मेसर्स ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 किसी भी कारण से या कोल बेड मीथेन के दोहन कार्य का उद्देश्य पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तांतरित करेंगे और न ही पट्टे पर देंगे। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नहीं हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगे।
- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तान्तरण नहीं होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नहीं होगा।
- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।
- क्रेता द्वारा Jharkhand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। 82

5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू-लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तान्तरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।
6. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-49(3) के आलोक में बिक्रेता (आवेदकगण) द्वारा क्रेता (विपक्षी) को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा। निबंधित केवाला के पूर्व अधोहस्ताक्षरी आदेश में उल्लेखित शर्तों के संबंध में अंचल अधिकारी, माण्डू से अनुमति ली जाएगी। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा भूमि हस्तांतरण हेतु निबंधित दस्तावेज में उपरोक्त सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन हुआ है, सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बिक्रेता भूमि हस्तांतरण के पश्चात भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं बिक्रेता हस्तांतरित भूमि के वास्तविक स्वामित्व/रैयत/हिस्सेदार एवं दखलकार हैं, सुनिश्चित कर निबंधन हेतु अनुमति प्रदान करेंगे।
7. जिला अवर निबंधक, रामगढ़ निबंधन से पूर्व क्रेता तथा बिक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

उक्त विवेचन/शर्तों के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अनुपालन के निमित्त अंचल अधिकारी, माण्डू एवं जिला अवर निबंधक, रामगढ़ को भेजे।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवीशिक्षा
25.10.2021

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

शाधवीशिक्षा
25.10.2021

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।